

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

समक्ष— वीरेन्द्र सिंह राजपूत

आप0 पुनरीक्षण याचिका क. 56/2017

संस्थापन दिनांक – 03.07.2017

राजाराम पुत्र चोखेलाल, जाति प्रजापित, उम्र 65 वर्ष,  
निवासी ग्राम मालनपुर, तहसील गोहद, जिला भिण्ड  
म0प्र0

.....पुनरीक्षणकर्ता

// विरुद्ध //

म0प्र0 राज्य की ओर से आरक्षी केन्द्र मालनपुर जिला  
भिण्ड म0प्र0

.....प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता।  
प्रत्यर्थी द्वारा— श्री दीवानसिंह गुर्जर, अपर लोक  
अभियोजक।

**आ-दे-श**

(आज दिनांक 10/07/2017 को पारित किया गया)

01. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से पुनरीक्षण याचिका अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोहद द्वारा इस्तगासा क्रमांक 02/17 ( शा0पु0 मालनपुर वि0 राजाराम ) में पारित आदेश दिनांक 26.06.2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोहद ने पुनरीक्षणकर्ता को बंधपत्र के उल्लंघन पर जेल भेजने का आदेश दिया है।

02. संक्षेप में पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता को दं.प्र.सं. की धारा 106 या 117 के अंतर्गत प्रतिभूति देने हेतु कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, उसके पश्चात् भी दं.प्र.सं. की धारा 122 के अंतर्गत प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावास में भेजने का जो आदेश दिया है वह अवैध है और इसी आधार पर आदेश को अपास्त कर पुनरीक्षणकर्ता को जमानत पर मुक्त किये

जाने की प्रार्थना की गई है।

03. प्रतिपुनरीक्षणकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री के0पी0राठौर एवं अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक को सुना गया। अधीनस्थ न्यायालय के इस्तगासा क्रमांक 02/17 अंतर्गत धारा 122 दं.प्र.सं. के रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

04. प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न है :-

01.	क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस्तगासा क्रमांक 02/2017 ( शा0पु0 मालनपुर वि0 राजाराम) में पारित आदेश दिनांक 26.06.2017 विधि एवं तथ्य संबंधी ऐसी गंभीर त्रुटि की है, जो शुद्धता, वैधता, औचित्यता एवं अधिकारिता के आधार पर पुनरीक्षण शक्तियों के अधीन हस्तक्षेप योग्य है?
-----	---

### ॥ सकारण निष्कर्ष ॥

05. अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड का अवलोकन किया गया, जिसके अवलोकन से दर्शित होता है कि थाना मालनपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक इस्तगासा धारा 122 दं. प्र.सं. के अंतर्गत इस आधार पर प्रस्तुत किया कि पक्ष क्रमांक 2 राजाराम आदि में पक्ष क्रमांक 1 के बीच दरवाजा बनाने की बात के उपर विवाद चल रहा है। दिनांक 22.06.17 को दोनों पक्ष झगडा करने पर उतारु थे तथा राजाराम बगैरह के विरुद्ध धारा 156, 107, 116(3) दं.प्र.सं के अंतर्गत इस्तगासा प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनकी 25-25 हजार रुपए के बंधपत्र पर छोडा गया था, किन्तु कल दिनांक 25.06.2017 को पुनः आवेदक राजाराम द्वारा बंधपत्र का उल्लघर किया गया और इसी आधार पर धारा 122 के अंतर्गत दंडित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

06. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि पुनरीक्षणकर्ता को प्रकरण में गिरफ्तार किया और जैसे ही वह छूटा बंधपत्र के उल्लघन में

### 3 आप0 पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 56/2017

उसे पुनः गिरफ्तार कर लिया है।

07. अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण क्रमांक 59/17 धारा 151 सी.आर.पी.सी. प्रकरण में संलग्न है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्ता को शांति बनाए रखने के लिए 25-25 हजार रुपए की जमानत प्रदत्त करने हेतु आदेश दिया गया है। इस संबंध में पुनरीक्षणकर्ता की ओर से बंधपत्र भी प्रस्तुत किये गए हैं।

08. इस्तगासा प्रकरण क्रमांक 02/17 में बंधपत्र के उल्लघन का आरोप पुनरीक्षणकर्ता पर है और यह आधार लिया गया है कि दिनांक 25.06.2017 को पुनः शांति भंग कर झगड़ा किया, किन्तु इस संबंध में किसी पक्ष द्वारा कोई शिकायत की गई हो अथवा थाना पर कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई हो, कोई अपराध पंजीबद्ध किया गया हो ऐसा कोई दस्तावेज पुलिस थाना मालनपुर की ओर से इस्तगासा क्रमांक 02/17 में प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि पुलिस थाना मालनपुर की ओर से इस्तगासा पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने बगैर इस बात की संतुष्टि किए कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा किस प्रकार शांति भंग की है, पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध यह निष्कर्ष देते हुए कि बंधपत्र का उल्लघन किया गया है पुनरीक्षणकर्ता के को जेल अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए हैं। जबकि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 122 (1)(ख) यह प्रावधान करती है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 117 के अंतर्गत आदेश किए जाने के पश्चात् बंधपत्र का भंग करता है तो ऐसे सबूत के आधारों को लेखबद्ध करने के पश्चात् मजिस्ट्रेट या न्यायालय उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के आदेश प्रदान कर सकता है।

09. प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलौच्य आदेश में किन सबूतों के आधार पर न्यायालय को संतुष्टि हुई लेखबद्ध नहीं किए हैं। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलौच्य आदेश में पुनरीक्षणकर्ता को जेल भेजे जाने का आदेश दिया है, किन्तु पुनरीक्षणकर्ता को किस अवधि तक जेल में रखा जावे इसका उल्लेख नहीं किया है। जबकि यदि द.प्र.सं की धारा 122 की उपधारा (3) के परंतुक का अवलोकन

किया जाए जिसमें यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावासित नहीं किया जाएगा।

10. अतः उपरोक्त निष्कर्षित एवं विश्लेषित परिस्थितियों में यह निष्कर्ष निकलता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित करने में विधि की प्रक्रिया का पालन नहीं किया है और अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश विधि के विपरीत है। अतः उपरोक्त विश्लेषित एवं निष्कर्षित परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य आदेश में इस प्रकार की त्रुटि है जो कि पुनरीक्षणाधीन शक्तियों के अधीन हस्तक्षेप योग्य है।

11. परिणामतः पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत यह याचिका स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश अपास्त किया जाता है एवं आदेश किया जाता है कि यदि पुनरीक्षणकर्ता की ओर से अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि योग्य 25,000/- रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र निम्न आशय का प्रस्तुत किया जाए तो उसे तत्काल प्रतिभूति पर मुक्त कर दिया जावे।

शर्तें—

1. वह शांति बनाए रखेगा।
  2. जैसा आरोप है वैसा अपराध नहीं करेगा।
  3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यासा किये जाने पर उपस्थित रहेगा।
12. आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय से बुलाए गए अभिलेख वापस किया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में पारित मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)  
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद  
जिला भिण्ड (म0प्र0)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)  
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद  
जिला भिण्ड (म0प्र0)